BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPARTMENT)

Ref: HRD/Gen/ P&C **08 March 2018**

CIRCULAR

As decided by the Competent Authority, in supersession of circular no. HRD/19:5 dated 23 August 2005, the following delegation of power to DDGs for placement of Officiating Heads with Administrative and Financial Powers shall come into force with immediate effect.

SITUATION	DELEGATION	CONDITION
The Head of the Department goes on leave or is transferred/ retires and no regular Head is posted or in case of any unforeseen exigency	DDG may directly authorize next senior most officer in the department for officiating as Head, in addition to his own duties, with Administrative & Financial Powers, 'till further orders'. The officer authorized for officiating as Head should be of the level of Scientist – D and above. However, if such an officer is not available in the Department, another suitable officer should be nominated from among the officers serving under the DDG.	(i) In case the next senior most officer, who is Scientist – D and above, has not been recommended due to valid reasons, DDG should seek approval of DG by e-mail. (ii) The officer assigned with the responsibilities of Headship will not review the cases dealt by him/her. Such cases should be forwarded to respective DDG. (iii) All such authorizations should be copied to DDGA, BIS / Head (HRD) for information.

Sd/-

(Lt. Col. Kumar Shantanu)
Head (HRD)

Circulated to all through BIS intranet

भारतीय मानक ब्यूरो
(मानव संसाधन विकास विभाग)

संदर्भ: एचआरडी/सा./पी एण्ड सी **08 मार्च 2018**

परिपत्र

सक्षम प्रधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, परिपत्र सं. एचआरडी/19:5 दिनांक 23 अगस्त 2005 के अधिक्रमण में, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों सहित स्थानापन्न प्रमुखों की नियुक्ति के लिए उपमहानिदेशकों को निम्नलिखित शक्ति का प्रत्यायोजन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

स्थिति	**प्रत्यायोजन**	**शर्त**
विभाग प्रमुख छुट्टी जाता है या स्थानांतरित/ सेवानिवृत्त होता है और कोई नियमित प्रमुख तैनात नहीं होता है या किसी अप्रत्याशित अत्यावश्यकता के मामले में।	उपमहानिदेशक अगले वरिष्ठतम अधिकारी को उसकी अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों सहित स्थानापन्न प्रमुख के रूप में सीधा 'अगले आदेश होने तक' प्राधिकृत कर सकता है। स्थानापन्न प्रमुख के रूप में प्राधिकृत अधिकारी वैज्ञानिक-डी और इसके ऊपर के स्तर का होना चाहिए। यद्यपि, यदि विभाग में ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हो, तो उपमहानिदेशक के अधीन कार्यरत अन्य अधिकारियों में से कोई उपयुक्त अधिकारी नामित किया जाना चाहिए।	(i) यदि अगले ऐसे वरिष्ठतम अधिकारी, जो वैज्ञानिक – डी और इसके ऊपर हैं, उन्हें किन्हीं वैध कारणों से संस्तुत नहीं किया गया है, तो उपमहानिदेशक को इमेल द्वारा महानिदेशक का अनुमोदन लेना चाहिए। (ii) जिस अधिकारी को विभाग प्रमुख का दायित्व सौंपा गया है, वह अपने से संबंधित मामलों की समीक्षा नहीं करेगा। ऐसे मामले संबंधित उपमहानिदेशक को अग्रेषित किए जाएंगे। (iii) ऐसे सभी प्राधिकृतों की प्रतियाँ उपमहानिदेश (प्रशासन), बीआईएस/ प्रमुख (एचआरडी) की सूचना हेतु भेजे जाने चाहिए।

हस्ता/-
(ले.कर्नल कुमार शान्तनु)
प्रमुख (एचआरडी)

सभी को बीआईएस इंट्रानेट द्वारा परिचालित